फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ

गुरसेब सिंह बनाम गोमंदराम आदि

किस्म मुकदमा:–251(क) आरटीए प्रकरण संख्या:–08/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.08.2020	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रा. पत्र दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के नाम से चक 8 डीडब्लयूएम के प0नं0 155/55 कि0नं0 1 ता 5, 7 ता 12 में कुल 11.00 बीघा भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि प्रार्थी के कब्जा काश्त में है। अप्रार्थी सं. 1 गोविन्दराम पुत्र सुखराम के नाम से चक 7 डी.डब्लयू.एम. का प.नं. 155/54 में कि.नं. 16, 25 में 2.00 बीघा, चक 8 डी.डब्लयू.एम. का प.नं. 155/62 कि.नं. 19 ता 22 में 4.00 बीघा, प.नं. 155/63 कि.नं. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 20 में 16.00 बीघा, प.नं. 155/55 कि.नं. 6, 15, 16 में 13.00 बीघा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 8 डी.डब्लयू.एम. का प.नं. 155/62 कि.नं. 21 ता 25 में मंजूरशुदा रास्ता है जो कि मौका पर चल रहा है। उक्त रास्ता अप्रार्थी सं. 1 व प्रार्थी की भूमि प.नं. 155/55 की 11.00 बीघा भूमि के लिए मंजूरशुदा रास्ता है। इस रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अपनी भूमि में आने–जाने हेतु कोई ओर सुविधाजनक रास्ता नही है व उक्त मंजूरशुदा रास्ता व प्रार्थी की भूमि के बीच में अप्रार्थी की प. नं. 155/54 के कि.नं. 25 की भूमि पड़ती है जिसमें से होकर अप्रार्थी, प्रार्थी को अपनी भूमि में आने–जाने से रोक रहा है जिससे प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने व काश्त करने में परेशानी हो रही है। प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने के लिए चक 7 डीडब्लयूएम प.नं. 155/54 का कि.नं. 25 जो कि प्रार्थी की भूमि व मंजूरशुदा रास्ता के चिपता पडता है, के दक्षिण पूर्वी कोने में मात्र 2 गुणा 3 गट्ठा में रास्ता मंजूर करवाना चाहता है ताकि प्रार्थी अपने खेत में आवागमन कर सके। प.नं. 155/54 का कि.नं. 25 अप्रार्थी गोविन्दराम के नाम से अंकित है। अप्रार्थी, प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने व फसल काश्त करने के लिए उक्त कि.नं. 25 में रास्ता उपलब्ध नही करवा रहा है। इसलिये प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर चक 7 डी.डब्लयू.एम. प.नं. 155/54 का कि.नं. 25 के दक्षिणी पूर्वी कोने में 2 गुणा 3 गट्ठा रास्ता दर्ज किया जावे। वकील अप्रार्थी सं. 1 ने जवाब प्रा.पत्र को दोहराते हुए बताया कि प.नं. 155/62 कि.नं. 21 ता 25 में दर्ज रास्ता केवल मात्र रिकार्ड में दर्ज है, मौका पर कभी चालू नही था। प्रार्थी के खेत तक आने–जाने के लिए ग्रेवल रोड़ बनी हुई है। जो कि तहसीलदार की रिपोर्ट से स्पष्ट है। प.नं. 155/55 प्रार्थी के रकबा को पहले ही रास्ता मिला हुआ है, रास्ता प.नं. 155/55 कि.नं. 1 पर आकर रूकता है। इससे आगे भी 155/55 कि.नं. 1,10,11,20,21 में मंजूरशुदा रास्ता था। किन्तु प्रार्थी द्वारा यह रास्ता पूर्व में निरस्त करवा लिया गया थां प्रार्थी को अपने खेत में आने–जाने के लिये चक 7 डी.डब्लयू.एम. प.नं. 155/53 व 155/54 के कि.नं. 1,10,11,20,21 प्रत्येक में 2–2 बिस्वा स्वीकृतशुदा रास्ता लगता है, जो मौका पर चालू है। अतः प्रार्थी का प्रा.पत्र 251(क) आर.टी.ए. मय हर्जाना निरस्त फरमावें। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली में दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। जमाबंदी अनुसार प्रार्थी के नाम से चक 8 डीडब्लयूएम के प0नं0 155/55 कि0नं0 1 ता 5, 7 ता 12 में कुल 11.00 बीघा भूमि खातेदारी व अप्रार्थी सं. 1 गोविन्दराम पुत्र सुखराम के नाम से चक 7 डी.डब्लयू.एम. का प.नं. 155/54 में कि.नं. 16, 25 में 2.00 बीघा, चक 8 डी.डब्लयू.एम. का प.नं. 155/62 कि.नं. 19 ता 22 में 4.00 बीघा, प.नं. 155/63 कि.नं. 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 20 में 16.00 बीघा, प.नं. 155/55 कि.नं. 6, 15, 16 में 13.00 बीघा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। भू.अ.निरीक्षक वृत रघुनाथपुरा की रिपोर्ट दिनांक 05.08.2020 अनुसार प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता नही है, वादी सुविधा के लिए रास्ता लेना चाहता है। प्रार्थी के नाम से चक 8 डी.डब्लयू.एम. का प.नं. 155/55 का कि.नं. 1 ता 5, 7 ता 12 कुल 11.00 बीघा को चक 7 डी.डब्लयू.एम. प.नं. 155/53 व 155/54 कि.नं. 1,10,11,20,21 प्रत्येक में 0.025 है0 स्वीकृतशुदा रास्ता लगता है। जो कि मौका पर च[illegible] कि.नं. 1 में लगता है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित जमाबन्दी [illegible] ता 74 के अनुसार चक 7 डीडब्लयूएम प.नं. 155/53, 155/54 के [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:17:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रत्येक में 2–2 बिस्वा स्वीकृतशुदा रास्ता है। जो कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि चक 8 डीडब्लयूएम प.नं. 155/55 के कि.नं. 1 तक जाता है। जो स्वीकृतशुदा व सुविधाजनक रास्ता है। अतः भू.अ.निरीक्षक रघुनाथपुरा की रिपोर्ट व प्रस्तुत दस्तावेजों से पाया गया कि प्रार्थी गुरसेबसिंह को अपने रकबा में आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है। काश्तकार को अपने खेत में आवागमन हेतु आवश्यकता के आधार पर रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है किसी काश्तकार को सुविधा के अनुसार रास्ता स्वीकृत नही किया जाता है। इस सम्बन्ध कई कानूनी नजीर भी आ चुकी है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता उपलब्ध है किसी प्रकार की प्रार्थी को परेशानी नही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आधारहीन होने से अस्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् चक 7 डीडब्लयूएम प.नं. 155/54 का कि.नं. 25 में 2 गुणा 3 गट्ठा रास्ता मंजूर करने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.10.09 17:17:28 IST
Reason: SelfAttested